



2026:AHC:22784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1412, वर्ष 2026

सावित्री
.....याची
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य
.....प्रत्यर्थीगण

याची हेतु अधिवक्ता : चंदन, धनंजय प्रताप
प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चंदन भगगत और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार तथा प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री शेर बहादुर सिंह को सुना गया।
- रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि ग्राम सभा सपेहा के सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर/सफाईकर्मी के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति का एक प्रस्ताव पारित हुआ है, परंतु याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है।
- वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 5, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक पूरनपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इस निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. विरोधी पक्षों के तर्कों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवादी, प्रत्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 5 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

7. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न लगाया जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

3 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"